न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22 / 2022 (राजसमन्द आर्डर)

1. वेणीराम पिता भेरा जी गुर्जर, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रामा पिता भेरा जी गुर्जर, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शिवलाल पिता भेरा जी गुर्जर, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. जयराम पिता चतरभुज जी गुर्जर, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 30.09.2022 प्र. सं. 08/2021

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री गिरजाशंकर मेहता अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– राजकीय पैरोकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक 23–11–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लक्ष्मीपुरा में प्रार्थी के खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 625 रकबा 0.4700 हैक्टर एवं आराजी नंबर 642 रकबा 0.2800 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 711 रकबा 0.0900 हैक्टर व आराजी नंबर 712 रकबा 0.3300 हैक्टर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:01 IST
Reason: SelfAttested

है, जिससे प्रार्थी अपने खेतों पर आता–जाता है तथा मौके पर रास्ता खुला होकर चालू है, लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 3 जो खातेदार भेरा की संताने हैं, थुअर की बाड़ लगाकर रास्ते को बन्द कर दिया है, जबकि यह रास्ता भेरा के समय से पीढ़ियों से चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 711 व 712 में से 15 फिट रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे तथा विपक्षीगण को रास्ता बन्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे।

विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 711 व 712 में से होकर प्रार्थी कभी भी आता जाता नहीं था। मात्र विपक्षीगण को परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–09–2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर रेस्पोन्डेन्ट की अन्य आराजी नंबर 620 जो मुख्य रास्ते पर स्थित है तथा उसके पीछे आराजी नंबर 622 स्थित है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट अपने खाते की आराजी नंबर 642 व 625 पर आ जा सकता है तथा इस आराजी पर पूर्व से रास्ता मौजूद है, लेकिन अब रेस्पोन्डेन्ट अपीलान्टगण की आराजीयात ने नया रास्ता चाहते हैं जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट की खाते की आराजी नंबर 625 व 642 में आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:01 IST
Reason: SelfAttested

हेतु एक मात्र रास्ता अपीलान्टगण की खाते की आराजी नंबर 711 व 712 में से है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में रास्ते बाबत् जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मौका पर्चा दिनांक 12–07–2021 के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खाते की आराजी नंबर 625 व 642 में आने–जाने हेतु अपीलान्ट/विपक्षीगण के खाते की आराजी नंबर 711, 712 में से होकर 5–6 फिट का रास्ता पूर्व से मौजूद था जो वक्त मौका पर्चा अपीलान्टगण द्वारा थोर की बाड़ लगाकर अवरूद्ध किया जाना पाया गया तथा इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना तथा प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को कृषि कार्य हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता होना भी उक्त पर्चा मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पर्चा मौका के आधार पर रास्ते बाबत् जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–09–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:01 IST
Reason: SelfAttested